संख्या 1354/ब्यूरो/2-2(45)/79

प्रेषक,

श्री सुमन कुमार मांडवल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-शासन के समस्त सचिव एवं विशेष सचिव।
2-समस्त सार्वजनिक निगमों/उद्योगों/उपक्रमों आदि के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 21 मई, 1980

विषय :- सार्वजनिक क्षेत्र में जन-शक्ति नियोजन-सार्वजनिक उद्योग चयन समितियों का गठन।

महोदय,

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-2
चयन समिति कार्यालय 242 (जवाहर भवन)

(1) कार्यालय-ज्ञाप संख्या 5195/ब्यूरो-2-2(45)/79, दिनांक 14-12-1979।
(2) शासनादेश संख्या 5453/ब्यूरो/2-2(45)-79, दिनांक 16-2-1980।
(3) कार्यालय-ज्ञाप संख्या 541/ब्यूरो-2-2(45)/79, दिनांक 18.2.1980।

उपर्युक्त विषयक पार्श्वांकित कार्यालय ज्ञापों/शासनादेश की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 14 दिसम्बर, 1979 के प्रस्तर 14 में यह कहा गया था कि सार्वजनिक उद्योगों/निगमों आदि के पदों के सृजन तथा चयन के बारे में उक्त ज्ञाप में उल्लिखित व्यवस्था, सम्प्रति अन्तरिम व्यवस्था के रूप में की जा रही है तथा बाद में पदों की प्रकृति, उनकी अर्हतायें,

चयन के पात्रता क्षेत्र, भर्ती के स्रोत तथा फीडर सर्विस के बारे में परिमार्जित प्रणाली अपनाई जायेगी।

2-किसी सार्वजनिक निगम/उद्योग/उपक्रम में चयन समिति । या 2 के विचार क्षेत्र में आने वाली रिक्ति को किस प्रकार भरा जाय (खुले बाजार से सीधी भर्ती द्वारा अथवा राजकीय सेवाओं से प्रतिनियुक्ति से अथवा निगम के उपयुक्त अधिकारियों को पदोन्नति देकर), इस प्रश्न पर शासन द्वारा उल्लिखित अन्तरिम व्यवस्था को व्यवहारिक रूप देने तथा चयन प्रक्रिया को यथाशीघ्र संपादित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं-

(।) सार्वजनिक निगम/उपक्रम, प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-2 को कार्यालय-ज्ञाप, दिनांक ।4 दिसम्बर, ।979 से संलग्न प्रपत्र पर सूचना भेजेंगे। सूचना प्राप्त होने पर महानिदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो, मुख्य सचिव के परामर्श से तथा चयन समिति की सहमति की प्रत्याशा में यह निर्णय लेंगे कि प्रश्नगत रिक्ति पर भर्ती किस स्रोत से किया जाय, अर्थात् रिक्ति, सीधी भर्ती की रीति से भरी जायेगी या निगमों/उपक्रमों के उपयुक्त अधिकारियों की पदोन्नति से अथवा भारतीय/प्रादेशिक/प्रशासनिक सेवा या किसी अन्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से निर्णय लेते समय सार्वजनिक निगम/उपक्रम तथा प्रशासनिक विभाग की संस्तुति को ध्यान में रखा जायेगा।

(2) यदि रिक्ति को सीधी भर्ती की रीति से खुले बाजार से भरने का निर्णय लिया जाता है, तो पद के लिये निर्धारित अर्हतायें तथा पद को भरे जाने हेतु प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देने व प्रारम्भिक स्क्रीनिंग की कार्यवाही संबंधित निगम/उपक्रम द्वारा महानिदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो के परामर्श से की जायेगी। तत्पश्चात् चयन हेतु अभ्यर्थियों की सूचना, पूर्ण बायोडाटा के साथ संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से 8 प्रतियों में चयन समिति । या 2, जैसा आवश्यक हो, के समक्ष रखे जाने हेतु सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-2 (चयन समिति कार्यालय), 242, जवाहर भवन, लखनऊ को भेजी जायेगी।

(3) यदि मुख्य सचिव तथा महानिदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो द्वारा यह निर्णय लिया जाता हे कि पद पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति से ही भरा जाना है, तो उपक्रम से संबंधित प्रशासनिक विभाग निर्धारित रिक्ति सूचना रूप-पत्र से संबंधित अर्ह अधिकारियों के विवरण उनके पूर्ण बायोडाटा सहित आठ प्रतियों में महानिदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो को उपलब्ध करायेंगे, जो जैसा भी आवश्यक हो, चयन समिति-। अथवा 2 के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(4) प्रस्तर (।), (2) व (3) में वर्णित प्रारम्भिक निर्णय/कार्यवाही का अनुमोदन चयन समिति (।) या (2) जैसा भी हो, से प्राप्त किया जायेगा।

(5) प्रतिनियुक्ति की पात्रता-क्षेत्र में आने वाले आई0ए0एस0 तथा पी0सी0एस0 अधिकारियों के बारे में एक विशेष पैनल तैयार करने की तथा उसका चयन समिति । द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने की व्यवस्था नियुक्ति तथा सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग द्वारा अलग से की जा रही है।

(6) सीधी भर्ती, प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के संबंध में, जो अभ्यर्थी/विशेषज्ञ, चयन समितियों की बैठकों में बुलाये जायेंगे, उन्हें नियमानुसार देय यात्रा भत्ता तथा अन्य व्यय का भुगतान संबंधित निगम/उपक्रम/परिषद् द्वारा अपने स्रोतों से किया जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालय-ज्ञाप, दिनांक ।4 दिसम्बर, ।979 की भांति, यह शासनादेश सांविधिक निगमों से संबंधित अधिनियमों/नियमों, कम्पनीज ऐक्ट, ।956 अथवा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, ।860 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उद्योगों, निगमों, उपक्रमों, प्रतिष्ठानों आदि के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन से संबंधित आर्टिकिल तथा उत्तर

प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 41, 1975) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जारी किये गये, श्री राज्यपाल महोदय के निदेश माने जायेंगे और तद्नुसार किसी भी सार्वजनिक उद्योग, निगम, उपक्रम, प्रतिष्ठान आदि से संबंधित अधिनियम/नियम अथवा आर्टिकल आफ एसोसियेशन में इन आदेशों के विपरीत यदि कोई धारा/नियम अथवा आर्टिकल विद्यमान हों, तो इस कार्यालय-ज्ञाप के अनुकूल तत्काल संशोधन किया जाये।

भवदीय,
सुमन कुमार मॉडवल,
सचिव।

संख्या 1354 (1)/ब्यूरो-2-2 (45)/79, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मंडलों के आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(5) सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग।

आज्ञा से,
दिनेश राय,
उप सचिव।